उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः 134 / XXVII(7)/50(16)/2020
देहरादूनः दिनांक ~~मई~~, 2020
02 जून

अधिसूचना संख्या–112/XXVII(7)/50(16)/2020 दिनांक ~~मई~~ 02 जून, 2020 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020'' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायाल, नैनीताल।
8. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, रिंग रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, ऑडिट, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की 200(दो सौ मात्र) प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 112 / XXVII(7)/20-50(16)/2020
देहरादूनः दिनांक 02 मई/जून 2020

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा मूल नियम के अधीन प्रदत्त शक्ति एवं इस निमित्त प्रदत्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में दिये गये मूल नियम को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020'' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियम 18 का संशोधन–

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग–2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में स्तम्भ–1 में दिये गये मूल नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. जब तक कि सरकार किसी मामले को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा अवधारित न करे, तब तक किसी सरकारी सेवक को, भारत में बाह्य सेवा से भिन्न अन्यत्र किसी ड्यूटी से पांच वर्ष की लगातार अनुपस्थिति के पश्चात् चाहे वह अवकाश पर हो या बिना अवकाश के हो, किसी भी प्रकार का पुरस्कार स्वीकृत नहीं किया जायेगा, पांच वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति पर अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।	18(1) किसी भी सरकारी सेवक को लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। (2) सरकारी सेवक को मूल नियम–85 एवं सहायक नियम 157 (क)(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम पॉच वर्ष तक का ही असाधारण अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा। (3) सरकारी सेवक को सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ मान लिया (deemed to be resigned) जायेगा यदि वह– (1) अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो; या (2) स्वीकृत अवकाश या अनुमति की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो; या

(3) लगातार पांच वर्ष से अधिक समय से सेवा से अनुपस्थित हो, भले ही अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का समय एक वर्ष से कम हो।

परन्तु यह कि इस उपनियम के अनुसार कार्यवाही करने के पूर्व सरकारी सेवक को ऐसे अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा:

3. सहायक नियम 157 क (4) (ख) का संशोधन–

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान सहायक नियम 157 क (4) (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
157–क(4) (ख). जब तक मामले की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल अन्यथा अवधारित न करें, किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी अवसर पर उपनियम (ए) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अवकाश की समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।	157–क(4) (ख). मूल नियम 18(2) में उल्लिखित अधिकतम समयावधि की सीमा के अधीन रहते हुए जब तक मामले की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्यपाल अन्यथा अवधारित न करें, किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी अवसर पर उपनियम (क) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अवकाश की समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी से अनुपस्थित रहना आचरण नियमावली के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे: परन्तु यह कि यदि ऐसी अनुपस्थिति मूल नियम 18 (3) के किसी खण्ड के अन्तर्गत आती है, तो मूल नियम 18 (3) के प्राविधान स्वमेव लागू हो जायेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।